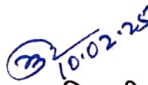
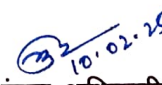


आदेश पत्रक सं०—

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 35/सन-2024— 25

केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.02.2025	<u>—:आदेश: —</u> यह विविध वाद अभिलेख सं०— 35/2024— 25 आवेदक भुनेश्वर साव, पिता— कन्हाय नायक, साकिन— चट्टी, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 04, श्री राहुल कुमार वर्मा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— चट्टी, थाना नं०— 124 के भौतिक पंजी— II के भाग सं०— IV, पृष्ठ सं०— 57 पर कन्हाय नायक, पिता— स्व० बदन नायक, साकिन— चट्टी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। परन्तु ऑनलाइन पंजी— II में उक्त जमाबंदी दर्ज नहीं है। प्रतिवेदन में भौतिक पंजी— II के अनुसार ऑनलाइन पंजी— II में उक्त जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा— चट्टी/124 के भौतिक पंजी— II के भाग सं०— IV पृष्ठ सं०— 57 में कायम जमाबंदी को ऑनलाइन पंजी— II में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— चट्टी, थाना नं०— 124 के भौतिक पंजी— II के भाग सं०— IV, पृष्ठ सं०— 57 पर कन्हाय नायक, पिता— स्व० बदन नायक, साकिन— चट्टी के नाम से दर्ज जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाइन पंजी— II में उक्त जमाबंदी को कायम करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  10.02.25 अंचल अधिकारी, धनवार।  10.02.25 अंचल अधिकारी, धनवार।	